फार्म - दस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32 का उपनियम-5 देखें]

यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के प्रभावी होने के बाद उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वेच्छा से जारी रखने संबंधी प्रार्थना पत्र

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,
वाणिज्य कर सर्किल,

महोदय,

सर्वश्री ---------- जिसका मुख्य व्यापार स्थल ---------- में स्थित है और जो वाणिज्य कर के ---------- सेक्टर / सर्किल के क्षेत्राधिकार में है, उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन प्रमाण पत्र / टिन ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ धारक है, व्यवसाय का विस्तृत विवरण जिसके संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र लागू है, फार्म - सात / सात (छ) में भरकर, इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । मैं / हम पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वेच्छा से जारी रखना चाहते है तथा कर के भुगतान का दायित्व स्वीकार करते है ।

पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2007 तक वैध था । आवश्यक नवीनीकरण शुल्क रू0 ---------- ट्रेजरी चालान संख्या ---------- दिनांक ----------, को ----------ब्रांच में जमा कर दिया गया है

अथवा

पंजीयन प्रमाण पत्र करनिर्धारण वर्ष 2007-08 हेतु वैध था, अत: नवीनीकरण शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है ।

कृपया यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के प्रयोगार्थ उपरोक्त टिन ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ का वैधीकरण करने तथा यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ।

स्थान:
दिनांक:

प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम:
प्रास्थिति:
मुहर:

<u>अनुलग्नकों का विवरण:</u>

(i) उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र (रूपपत्र-15) ।

(ii) पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म - सात / सात (छ), आवश्यक अनुलग्नकों सहित ।

नोट: यह प्रार्थना पत्र उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32 के उपनियम-6 में अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षरित किया जाएगा ।